आयात किसी की भी समय विद्यमान मांग और उत्पादन सुविधाओं पर निर्भर होता है। लगभग सभी कृषि उपकरणों की आवश्यकता को स्वदेशी उत्पादन से पूरा किया जाता है।

अत: आयात में किसी प्रकार की कमी से कृषि उत्पादन के प्रभावित होने की संभावना नहीं है।

नीति के अनुसार, अधिप्राप्ति/न्यूनतम समर्थन मूल्यों की घोषणा बआई के मौसम के पहले की जाती है इन मूल्यों की समीक्षा फसल के मौसम के दौरान अनाजों की लागत में होने वाली वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए मण्डी में आगमन के समय की जाती है।

(ग) जी, नहीं।

विवरण

1987-88 और 1988-89 के दौरान आयातित कृषि उपकरणों की सूची

1. बीज वपित्र
2. प्लांटर
3. प्रतिरोपक
4. लॉन तथा खेल मैदान रोलर्स
5. लॉन मोअर्स
6. कम्बाईन हार्वेस्टर थ्रशर्स
7. मोअर्स
8. सूखा चारा तथा भूसा प्रेसिस
9. अन्य हार्वेस्टिंग तथा थ्रेसिंग मशीनरी
10. सीडग्रेन तथा फलीदार सब्जियों के लिए विनोइंग तथा ऐसी ही क्लीनिंग मशीनें
11. कृषि उत्पाद के लिए ग्रेडिंग तथा अन्य ग्रेडिंग मशीनें
12. डेरी मशीनें
13. दुग्ध दोहन मशीनें
14. अन्य डेरी मशीनरी एन. ई. एस.
15. प्रेसिस क्रशर्स तथा तार बनाने, साइडर बनाने, फल का रस तैयार करने में इस्तेमाल की जाने वाली तथा ऐसी ही अन्य मशीनरी
16. यांत्रिक अथवा तापीय उपकरण सज्जित अंकुरण संयंत्र
17. सेने की मशीन (पॉल्ट्री इन्क्यूबेटर्स) तथा ब्रूडर्स

मुगलसराय डिवीजन में डेहरी आन सोन स्टेशन पर बने रेल पुल को चौड़ा किया जाना

456. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के मुगलसराय डिवीजन में डेहरी आन सोन रेलवे स्टेशन की मधुरी रेलवे नहर पर बने रेल पुल को चौड़ा करने तथा वहां एक और रेल लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मधुरी रेल पुल पर पैदल जाने वालों के लिये कोई फुटपाथ या गाड़ियों के आने जाने का कोई रास्ता नहीं है जिसके परिणामस्वरूप इस घनी आबादी वाले क्षेत्र के बड़े भाग के लोगों को काफी असुविधा होती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार मधुरी रेल पुल की प्रस्तावित विस्तार योजना में यात्रियों के इस्तेमाल के लिये सड़क का निर्माण कार्य भी शामिल करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, नहीं। नई लाइन के लिये अलग से एक रेल पुल का निर्माण करने का प्रस्ताव है ;

(ख) मौजूदा रेल पुल पर कोई पैदल पथ या सड़क नहीं है। तथापि, जनता के उपयोग के लिये पास ही में एक ऊपरी सड़क पुल उपलब्ध है ।

(ग) नये रेल पुलों पर सड़क की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि पास ही में क्रासिंग की सुविधा पहले से ही मौजूद है ।

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा इस्पात लोहा तथा कच्चे लोहे का आवंटन

457. **श्री राम अवधेश सिंह** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा जिन उद्योगों को इस्पात, लोहा और कच्चा लोहा बेचा जाता है उनका ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी तथा निजी क्षेत्रों की कम्पनियों को इनकी कितनी-कितनी मात्रा बेची गई ;

(ख) क्या यह सच है कि इस्पात तथा लोहे का कोटा ऐसी कम्पनियों को आबंटित कर दिया जाता है जिनका वास्तविक उत्पादन स्वीकृत क्षमता से बहुत कम है या फर्जी कम्पनियां हैं और वह उपर्युक्त मदों की कालाबाजारी के भी कुछ मामले हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि वास्तविक उपभोक्ताओं को फर्जी आधार पर इस्पात की आपूर्ति रोक दी जाती है ;

(घ) क्या सरकार वास्तविक उपभोक्ताओं और फर्जी उपभोक्ताओं का पता लगाने के लिये किसी गुप्तचर एजेंसी अथवा परामर्शदाता समिति के सदस्यों द्वारा जांच करवाने का विचार रखती है ; और

(ङ) क्या सरकार आयुक्त तथा क्षेत्रीय आयुक्त पर निगरानी रखने के लिये एक सतर्कता सेल स्थापित करने का विचार रखती है ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (संसदीय प्रभार) (श्री संतोष मोहन देव) : (क) "सेल" लोहे व इस्पात की सामग्री संयुक्त संयंत्र समिति के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार विभिन्न ग्राहकों को वितरित करता है । इनमें लोहे और इस्पात के परिष्कर्त्ताओं/उपभोक्ताओं की सभी पात्र श्रेणियां शामिल हैं। सेल निजी और सरकारी क्षेत्र के उद्योगों की सप्लाई के ब्यौरे अलग से नहीं रख रहा है ।

पिछले 3 वर्षों के दौरान घरेलू ग्राहकों को सेल (इस्को को छोड़कर)से की गई कच्चे लोहे और इस्पात की सप्लाई इस प्रकार है:–

(000 टन)

सामग्री	1988-89	1989-90	1990-91 (अनंतिम)
(i) कच्चा लोहा	723	874	477
(ii) इस्पात	6078	5784	6081

(ख) मौजूदा वितरण मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार सेल चालू यूनिटों की पिछली खरीद और नई/रूग्ण यूनिटों के संबंध में जुड़ी क्षमता के आधार पर तैयार की गई पात्रताओं के सूचकांक के अनुसार औद्योगिक उपभोक्ताओं को लोहा और इस्पात की सप्लाई करता है । वास्तविक सप्लाई उपलब्ध माल के अनुपात में की जाती है ।

लोहे और इस्पात के दुरुपयोग के मामलों की सूचना मिलने पर उसकी जांच की जाती है और विकास आयुक्त, लोहा और इस्पात के कार्यालय द्वारा उपयुक्त उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है ।